

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 227/2022

तारीख दायर :- 1/6/2022

अनवान

रामा पुत्र होक्मा जाति रेगर उम्र व्यसक निवासी पचानपुरा
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. बालू पिता कृष्णा जी जाति रेगर उम्र व्यसक निवासी पचानपुरा
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. जगदीश पिता पन्ना जी रेगर जाति रेगर उम्र व्यसक निवासी
पचानपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
3. शभु पिता धन्ना जी जाति रेगर उम्र व्यसक निवासी पचानपुरा
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

--: आदेश :-

दिनांक :- 1/6/2022

प्रार्थना पत्र रामा पुत्र होक्मा जाति रेगर उम्र व्यसक निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0 जरिये अभिभाषक सुनील कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चान्द जी की खेडी भु अभिलेख निरीक्षक सलावटिया तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 181 पर स्थित आराजी नम्बर 312 कुल किता 1 रकबा 0.9955 हेक्टेयर भूमि मुझ प्रार्थी के खातेदारी भूमि दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र सलंगन है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

पत्रावली में सलंगन जमाबन्दी 2074-2077 के अवलोकन में प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र सलंगन है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चान्द जी की खेडी भु अभिलेख निरीक्षक सलावटिया तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 181 पर स्थित आराजी नम्बर 312 कुल किता 1 रकबा 0.9955 हेक्टेयर भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सुचित करते हुये पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भु0अ0नि0 को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/-रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवाडी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान

प्रकरण संख्या:- 228/22

तारीख:- 1.6.2022

प्रेषित:-

तहसीलदार

बिजौलियां

रामा पुत्र होक्मा जाति रेगर उम्र व्यस्क निवासी पचानपुरा
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. बालू पिता कृष्णा जी जाति रेगर उम्र व्यस्क निवासी पचानपुरा
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. जगदीश पिता पन्ना जी रेगर जाति रेगर उम्र व्यस्क निवासी
पचानपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
3. शम्भु पिता धन्ना जी जाति रेगर उम्र व्यस्क निवासी पचानपुरा
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128, राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

उर्पयुक्त विषयान्तगत अनुवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चान्द जी की खेडी भु अभिलेख निरीक्षक सलावटिया तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 181 पर स्थित आराजी नम्बर 312 कुल किता 1 रकबा 0.9955 हेक्टेयर भुमि जिसपर की बाशमालात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावै।मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सुचित करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 10 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

(सीमा तिवाडी)

उपखण्ड अधिकारी

न्याय बिजौलियां जिला भीलवाडा
राजस्थान